न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस
मु0नं0 99/2025
चौथमल वर्मा वगै0 बनाम रिछपाल वगै0

22/07/25 पत्रावली आज नियत तारीख पेशी से गिरकर मिसल तलबी प्रा0 पत्र प्रस्तुत होने व वकील प्रतिवादी के नो ऑबजेक्शन पर पेश हुयी। वकुलाय उप0। पत्रावली में बहस उभय पक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। प्रकरण में वादीगण ने पूर्वजों के समय किये गये बाहमी बंटवारे का उल्लेख करते हुये वादग्रस्त भूमियों के खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गयी है। वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज पूर्व में संयुक्त खातेदार रहे है। प्रतिवादीगण 1 व 3 की ओर से राजीनामा व प्रतिवादी सं0 2 द्वारा इकबालिया जवाब पेश है। बतौर साक्ष्य वादी चौथमल व प्रतिवादी रिछपाल का लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र पेशशुदा है। अतः राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19, आदेश 12 नियम 6 सीपीसी, आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार पक्षकारान के मध्य समझौता के आधार पर वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

वाद पत्र वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार रींगस मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मूर्तीब हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे हजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी रींगस (सीकर)

22/07/2025
(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रींगस
उपखण्ड अधिकारी
रींगस (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2025.08.06 16:45:13 IST
Reason: SelfAttested